राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.11(14)वित्त/आब/2019 जयपुर, दिनांक: 23/08/2024

आदेश

राजस्थान आबकारी सेवा (सामान्य शाखा) नियम, 1974 के नियम, 11 के अधीन गठित विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 23.09.2021 के अनुसार श्रीमती मधु उज्जवल, आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी के विरूद्ध राजस्थान असैनिक सेवाऐं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम, 16 एवं 17 के अन्तर्गत विभिन्न नोटिस/ज्ञापन जारी होकर विभागीय जांच प्रकरण लम्बित होने के कारण अन्तिम निर्णय के अध्यधीन श्रीमती मधु उज्जवल को रिक्ति वर्ष 2021–22 में सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नति हेतु अनुशंषा सील कवर की गयी थी।

श्रीमती मधु उज्जवल के विरूद्ध सी.सी.ए नियम 16 एवं 17 के अन्तर्गत विचाराधीन नोटिसों/ज्ञापनों को आबकारी आयुक्त कार्यालय के विभिन्न आदेशों द्वारा समाप्त किये जाने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश दिनांक 23.09.2021 के अनुसार श्रीमती मधु उज्जवल को वर्ष 2021–22 की रिक्ति में पदोन्नति हेतु योग्य पाया गया तथा रिक्ति वर्ष 2021–22 में इन्हें सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर पदोन्नत किया जाता है।

श्रीमती मधु उज्जवल को पदोन्नति का काल्पनिक लाभ दिनांक 01.04.2021 से देय होगा एवं वास्तविक लाभ इनके द्वारा सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर कार्यग्रहण करने की तिथि से देय होगा। ।

श्रीमती मधु उज्जवल की सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा) के पद पर वरिष्ठता श्री प्रदीप कुमार, सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा)(पदोन्नति वर्ष 2021–22) के नीचे तथा श्रीमती श्वेता यादव, सहायक आबकारी अधिकारी(सामान्य शाखा)(पदोन्नति वर्ष 2021–22) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

आज्ञा से,

(जसवंत सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
6. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
7. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि कृपया उक्त आदेश वित्त विभाग की वेबसाईट पर प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।
8. श्रीमती मधु उज्जवल, आबकारी निरीक्षक, प्रथम श्रेणी **द्वारा आबकारी आयुक्त, उदयपुर।**
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

D:\rajesh gurjar\DPC Order.doc